

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल— 462004

// आदेश //

क्रमांक 1098 / 319 / 2004 / 1/ चौंतीस

भोपाल दिनांक 7.5.2004

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मध्य प्रदेश भोपाल

विषय :— शासन के विभिन्न विभागों में दिनांक 31.12.1988 के नियुक्त एवं हटाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा बहाली की प्रक्रिया।

विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर कई आदेश परिपत्र जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-5-4 / 2003 / एक / 3 दिनांक 21 जनवरी 2004 में अन्य निर्देशों के अतिरिक्त इसकी कंडिका 3 में यह निर्देश भी है कि जिन विभागों में दिनांक 31.12.88 के बाद हटाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मामले नहीं हैं उनके द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

1. जैसा कि आपको विदित है कि शासन की तत्समय की दिनांक 31.12.88 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को हटाने की नीति के तहत इस विभाग के अंतर्गत दिनांक 31.12.88 के पश्चात नियुक्त दैनिक वेतन भोगी एक भी कर्मचारी को सेवा से पृथक नहीं किया गया है। अतः इस विभाग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 21 जनवरी 2004 के परिपत्र में उल्लिखित एवं उल्लेखित रेखांकित भाग में उद्धृत निर्देशों के अनुसार इस विभाग पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 21 जनवरी 2004 के परिपत्र की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए आपसे आग्रह है कि कृपया इस परिपत्र में उल्लिखित निर्देशों, विशेष कर इसके पैरा 3 के उल्लेखित (रेखांकित भाग) की ओर सामस्त अधीक्षण यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस परिपत्र की प्रति इन सभी अधिकारियों की ओर भेजें। इन निर्देशों का उपयोग आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यक्तियों द्वारा न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत कई प्रकरणों में किया जा सके।

हस्ताक्षर

ज.पी.पिडिहा  
अवरसचिव  
म.प्र. शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागायुक्त एवं समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आमंत्रित
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आमंत्रित ।

हस्ताक्षर  
जे.पी. पिडिहा  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग